न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला–बडवानी (म०प्र०)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 423 / 2010 संस्थन दिनांक 06.10.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला—बड़वानी (म.प्र.)

----अभियोगी

विरूद्ध

लक्ष्मणसिंह पिता शंकरसिंह चिकलीगर आयु 60 वर्ष, निवासी—नवलपुरा, अंजड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

/ <u>/ निर्णय</u> / /

(आज दिनांक 31/01/2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 116/2010 अंतर्गत धारा 25, 27 आयुध अधिनियम में दिनांक 06.10.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त लक्ष्मणसिंह के विरूद्ध दिनांक 16.07.2012 को समय 12:35 बजे गवला नदी के पास खेत पर अपने आधिपत्य में एक देशी कट्टा लोहे का 12 बोर का लकड़ी की मुठ लगा हुआ एवं चार 12 बोर के कारतूस को अवैध रूप से निर्माण कर विक्रय करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 25 (1—आ) क आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
- 2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
- 3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पुलिस थाना ठीकरी के निरीक्षक थाने के रोजनामचा सान्हा क्रमांक 691 / 16.07.2010 की तस्दीक हेतु मय सहायक उपनिरीक्षक तंवर, आरक्षक जीवन को हमराह लेकर ग्रम टिटगारिया पहुँचे तथा मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर राहगीर पंचान संतोष व रामू को लेकर गवला नदी के पास खेत पर पहुँचे जहाँ पर मुखबिर सूचना अनुसार अभियुक्त पेमा की तलाश करते खेत पर अभियुक्त पेमा खेत पर मिला जो कि अपने दाहिने हाथ में एक कट्टा लिये था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त पेमा उर्फ प्रेमसिंह के आधिपत्य से एक देशी कट्टा 12 बोर का लोहे का चालू हालत में तथा अभियुक्त पेमा की तलाशी लेते उसके शरीर

पर पहने कुर्ते के बाएँ जेब से जिंदा चार कारतूस 12 बोर के पाए गए जिनके लायसेंस आदि के बारें में पूछने पर अभियुक्त द्वारा नहीं होना बताया। साक्षियों के समक्ष अभियुक्त पेमा उर्फ प्रेमिसंग के आधिपत्य से एक देशी कट्टा 12 बोर का तथा 4 जिंदा कारतूस 12 बोर के जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त का उक्त कृत्य पाया जाने से उसके विरूद्ध अपराध कमांक 116/2010 अंतर्गत धारा 25, 27 आयुध अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने अभियुक्त पेमा उर्फ प्रेमिसंग से पूछताछ कर साक्ष्य विधान का ज्ञापन प्रदर्शपी 6 बनाया। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त पेमा एवं लक्ष्मणिसंह को गिरफ्तार कर कमशः प्रदर्शपी 2 व 7 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये थे तथा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान संतोष, रामू, आर.जीवन एवं ताराचंद के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पेमा उर्फ प्रेमिसंह की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है।

- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन् न्यायिक मिजस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त लक्ष्मणिसह के विरुद्ध धारा 25 (1—आ) क आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।
- 5. प्रकरण में विचारणीय यह है कि :--

क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.07.2012 को समय 12:35 बजे गवला नदी के पास खेत पर अपने आधिपत्य में एक देशी कट्टा लोहे का 12 बोर का लकड़ी की मुठ लगा हुआ एवं चार 12 बोर के कारतूस को अवैध रूप से निर्माण कर विक्रय किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में संतोष (अ.सा.1), रामु (अ.सा.2), ताराचंद (अ.सा.3), मयाराम (अ.सा.4), उपनिरीक्षक भागचंद तॅवर (अ.सा.5), प्रधान आरक्षक जीवन चांदोरे (अ.सा.6), प्रधान आरक्षक ब्रजमोहन यादव (अ.सा.7), सीताराम चोपड़ा (अ.सा.8) नरसिंह (अ.सा.9) एवं आर्म्स लिपिक चन्द्रसिंह (अ.सा.10) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सीताराम चौपडा (अ.सा.८) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 16.07.2010 को थाना ठीकरी में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा थाने के रोजनामचा क्रमांक 691 की तस्दीक हेत सहायक उपनिरीक्षक श्री तंवर और आरक्षक जीवन को लेकर ग्राम टिटगारिया गया था। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक पंच संतोष एवं रामू को लेकर गवला नदी के पास पहुँचा, वहाँ अभियुक्त पेमा बंजारा की तलाश करने पर वह अपने दाहिने हाथ में एक कट्टा लिये हुए मिला था, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा तथा उसके आधिपत्य से एक 12 बोर का देशी कट्टा और तलाशी लेने पर उसके शरीर पर पहने कुर्ते की बाई जेब में 4 जिंदा कारतूस पाये गये जिसे रखने का अभियुक्त के पास कोई लायसेंस नहीं था। अभियुक्त से उक्त कारतुस एवं कट्टे जप्त किये जो आर्टिकल 'ए' एवं 'बी' है। उसने अभियक्त को गिरफ़तार कर पूछताछ की तो उसने उक्त कट्टा और कारतूस अभियुक्त लक्ष्मण से खरीदना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 6 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने अभियुक्त लक्ष्मण को गिरफ्तार किया था और जब कट्टा और कारतूस जॉच के लिए पुलिस लाईन बड़वानी भेजा था तथा अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति कलेक्टर बडवानी से प्राप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में कारतूस किस रंग के थे, इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त का जप्ती, मेमारेण्डम पंचनामा थाने पर फर्जी बनाया या उसने असत्य विवेचना की है।
- 8. उपनिरीक्षक भागसिंह तंवर अ.सा. 5 एवं प्रधान आरक्षक जीवन चांदोरे अ.सा. 6 ने भी सीताराम चौपड़ा अ.सा. 8 के कथन का समर्थन करते हुए ग्राम टिटगारिया में पेमा के आधिपत्य से 12 बोर कट्टा व 4 कारतूस जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि श्री सीताराम चोपड़ा अ.सा.8 ने अभियुक्त पेमा से कोई कट्टा जप्त नहीं किया था या वह पुलिस कर्मचारी होने से असत्य कथन कर रहा है।
- 9. आर्म्स लिपिक चन्द्रसिंह अ.सा.10 ने दिनांक 16.09.2010 को पुलिस अधीक्षक बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री सतोष मिश्र द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमित प्रदर्शपी 8 की प्रदान करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि श्री संतोष मिश्र के हस्ताार वह पहचानता है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्शपी 8 के आदेश पर श्री संतोष मिश्र ने हस्ताक्षर नहीं किये थे अथवा जप्त रिवाल्वर एवं कारतूस उनके समक्ष पेश नहीं किये थे।

- 10. प्रधान आरक्षक ब्रजमोहन व्यास अ.सा.७ ने दिनांक 19.07.2010 को पुलिस लाईन बड़वानी में थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 116/10 में जप्त एक कट्टा 12 बोर का और 4 नग कारतूस जॉच हेतु प्राप्त होने पर उक्त कट्टे का एक्शन चालु हालत में और उसे फायर होने की स्थिति में पाया था तथा 4 राउण्ड कारतूस में 2 राउण्ड कारतूस जिंदा तथा 2 कारतूस चले होना पाये थे। साक्षी ने अपना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने आर्टिकल 'ए' एवं 'बी' की जॉच नहीं की थी।
- 11. संतोष अ.सा. 1, रामु अ.सा. 2, ताराचंद अ.सा. 3, मयाराम अ.सा. 4 एवं नरसिंह अ.सा.9 अभियुक्त पेमा से उक्त कट्टा जप्त करने और उससे पूछताछ कर साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का मेमोरेण्डम के साक्षीगण है, किन्तु उक्त सभी साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण ने केवल प्रदर्शपी 1, 2, 6 व 7 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है। उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को अपने कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त दस्तावेजों पर उन्होंने हस्ताक्षर थाने पर किये थे।
- 12. ऐसी स्थिति में जप्ती एवं मेमोरेण्डम पंचनामें के साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। उल्लेखनीय यह भी है कि जिस अभियुक्त से उक्त आर्टिकल 'ए' एवं 'बी' की सम्पत्ति जप्त हुई थी उसकी मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर अभियुक्त लक्ष्मण को इस मामले में प्रदर्शपी 6 के मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है उक्त प्रदर्शपी 6 का मेमोरेण्डम साक्ष्य विधान के प्रावधानों के अनरूप नहीं है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान अनुसार अभियुक्त से की गई स्वीकृति का केवल उतना भाग ही साक्ष्य में ग्राह्य है जिससे कि किसी अपराध में प्रयुक्त वस्तु या चीज का पता चलता है, लेकिन अभियुक्त पेमा उर्फ प्रेमिसंह का उक्त मेमोरेण्डम किसी सम्पत्ति या वस्तु की जप्ती कराने के संबंध में नहीं है, बल्कि अभियुक्त लक्ष्मण को गिरफ्तार करवाने के संबंध में है जो कि उक्त प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला इस अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है और उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है और उसे दोषसिद्ध भी नहीं किया जा सकता है।

//5// आपराधिक प्रकरण क्रमांक 423/2010

- उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरूद्व निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नही पाया जाता है। अतएव अभियुक्त लक्ष्मण को शंका का लाभ देते हुए धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है ।
- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक देशी कट्टा 12 बोर का तथा 4 14. कारतूस के निराकरण हेतु विधिवत जिला मजिस्ट्रेट, बड़वानी की ओर अपील अवधि पश्चात् भेजे जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अंजड, जिला–बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला–बडवानी

28. अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त युनुस को परीवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थिगित किया जाता है।

> (श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला–बडवानी, म0प्र0

पुनश्च:-

29. सजा के प्रश्न पर अभियकुक्त युनुस एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया, उनका निवेदन है कि अभियुक्त लंबे समय से विचारण का सामना कर रहा है तथा अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होकर गरीब एवं ग्रामीण व्यक्ति है। अतः सहानुभूमिपूर्वक विचार किया जाये।

//15// आपराधिक प्रकरण क्रमांक 559/2008

- 30. यह सही है कि अभियुक्त ग्रामीण पृष्ठभूमि का होकर लंबे समय से विचारण का सामना कर रहा है, लेकिन विचारण में उक्त विलंब स्वयं अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है तथा प्रकरण लगभग 4 वर्ष से बचाव साक्ष्य के लिए नियत होता रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त युनुस पिता इस्माईल को भा.द.स. की धारा 452 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपये 2000/— के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त युनुस 2 माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा। भा.द.स. की धारा 324 में अभियुक्त युनुस को दोषसिद्ध ठहराते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपये 500/— के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त युनुस 15 दिवस का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा। अभियुक्त युनुस के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। उक्त दोनों सजाऍ साथ—साथ चलेगी। अभियुक्त युनुस द्वारा निरोध में बिताई गई करावास की सजा दी गई सजा में समायोजित की जाये।
- 31. अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें से रूपये 1000 / अपील अवधि पश्चात प्रतिकर स्वरूप आहत मुबारिक को प्रदान किये जाये।
- 32. अभियुक्त युनुस का अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाया जाये।

- निर्णय की एक प्रति अभियुक्त युनुस को अविलंब निःशुल्क दी 33. जाये ।
- 34. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य)

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला—बड़वानी, म०प्र० अंजड़, जिला—बड़वानी, म०प्र०

<u>न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य</u> <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड् (म०प्र०)</u>

// धारा ४२८ दं.प्र.सं. के अंतर्गत//

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म०प्र० आपराधिक प्रकरण क्रमांक 559/2008 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्व यूनुस आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :— यूनुस पिता इस्माईल नायता, आयु 30 वर्ष, निवासी—नायता मोहल्ला, ठीकरी तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 12.12.2008

पुलिस रिमाण्ड़ की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 12.12.2008 से दिनांक 17.12.2008 तक रहा

है।

इस प्रकार अभियुक्त युनुस ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 5 दिवस बिताये हैं।

c

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म०प्र0